<u>प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना– नियमावली</u>

<u>योजना का विवरण:</u>

इस बीमा योजना में हर वर्ष नवीनीकरणीय एक वर्ष के कवर तथा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर की पेशकश की गई है.

<u>लाभ</u>: किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रु. देय होंगे.

<u>प्रीमियम</u>:

- 330/- रु. के साथ सेवा कर, यदि कोई हो, प्रति सदस्य प्रति वर्ष.
- इस योजना के तहत , दिए गए विकल्प के अनुसार , प्रीमियम एक किश्त में 'स्वतःनामे' सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बचत खाते से प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 31 मई या उससे पूर्व काट लिया जाएगा.
- 31 मई के पश्चात्, संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है.
- वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी . अतिशय प्रकार के अनपेक्षित प्रतिकूल परिणामों के अलावा यह प्रयास किया जाएगा कि प्रथम तीन वर्षों में प्रीमियम को बढ़ाया न जाए.

<u>पात्रता की शर्तें:</u>

(क) सहभागी बैंकों के बचत खाता धारक , जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु) के बीच है तथा जो उक्त साधन के रूप में योजना में शामिल होने हेतु/ स्वतःनामे हेतु सहमति दे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जा सकता है.

(ख) जो व्यक्ति प्रारम्भिक नामांकन की अवधि के बाद , 31 अगस्त 2015 या 30 नवंबर 2015 तक की विस्तारित अवधि तक , जैसा भी मामला हो , योजना में शामिल हो रहे हैं उन्हें एक आत्म-प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे किसी भी 'गंभीर बीमारियों' जैसा कि नामांकन के समय सहमति सह घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है, से ग्रस्त नहीं हैं.

<u>कवरेज के दायरे:</u>

- सहभागी बैंकों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे.
- यदि, किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा.

- बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा.

नामांकन की अवधि:

- प्रारंभ में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए ग्राहकों को 31 मई 2015 तक योजना में नामनिवेश करना होगा तथा स्वतः नामे की सहमति देनी होगी.
- संभावित कवर के लिए देर से नामांकन 31 अगस्त 2015 तक संभव होगा जिसकी अवधि भारत सरकार द्वारा और तीन महीनों त क अर्थात् 30 नवंबर 2015 तक बढ़ाई जा सकती है. जो बाद में शामिल होना चाहते हैं वे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते हैं.

नामनिवेश साधन:

- कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए होगा जिसमें शामिल होने के लिए नामित बचत बैंक खाते से स्वतः नामे द्वारा नामांकन/ भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर हर वर्ष 31 मई तक, प्रारम्भिक वर्ष के लिए उक्त रूप में अपवाद के साथ, विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.
- संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रि मीयम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है.
- इस योजना से बाहर निकालने वाले व्यक्ति किसी भी समय , भविष्य के वर्षों में, निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत क र इस योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं.
- भविष्य के वर्षों में, पात्र श्रेणी में नए सदस्य, या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पूर्व में इस योजना में शामिल नहीं हुए थे या जिन्होंने अपना अंशदान बंद किया था , इस योजना में, यदि वह जारी हो तो, अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर शामिल हो सकते हैं.

मास्टर पॉलिसी धारक: आईडीबीआई बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा.

आश्वासन की समाप्ति:

सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा तथा उस स्थिति में कोई भी लाभ देय नहीं होगा:

1) 55 साल की उम्र (जन्म दिन की निकटतम आयु) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो.
2) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर.

3) यदि सदस्य एलआईसी/ अन्य कंपनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/ अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर रु. 2 लाख के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा तथा प्रीमियम जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा.
4) यदि बीमा कवर किसी तकनीकी वजह जैसे देय तारीख को अपर्याप्त शेष राशि होने अथवा किसी अन्य प्रशासनिक कारण से रुक जाए , तो उसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और स्वास्थ्य संबंधी संतोषजनक घोषणा-पत्र की प्राप्ति पर पुनः बहाल किया जा सकता है.
5) बैंक, नियमित नामांकन के मामले में प्रति वर्ष 30 जून को अथवा उससे पहले तथा अन्य मामलों में प्राप्ति के महीने में बीमा कंपनी को प्रीमियम प्रेषित करेगा.

<u>प्रीमियम का विनियोग:</u>

1) एलआईसी को बीमा प्रीमियम : रु. 289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
2) बीसी/ माइक्रो/ कॉरपोरेट/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
3) बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

यदि स्थिति ऐसी हो तो, इस योजना को अगली नवीनीकरण तिथि प्रारंभ होने से पूर्व बंद किया जा सकता है.